सामान्य नियम एवं शर्तें :–

1. **पदों की संख्या परिवर्तनीय है** –चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में प्रशासनिक कारणों से कमी या वृद्धि की जा सकती है।

2. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित हैं। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी को अनारक्षित श्रेणी का माना जायेगा । आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को प्राधिकृत अधिकारी व्दारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से कराया जा सकता है।**

3. **महिला अभ्यार्थियों/निःशक्त व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिक के लिए पद, शासन द्वारा समय–समय पर बनाए गए अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखे जाएगे।**

4. **छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।**

5. **सेवा में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा।**

6. **पद का विवरण :–**

6.1 पद का नाम	:– चिकित्सा अधिकारी (उल्लेखित प्रपत्र में दर्शित अनुसार)
6.2 सेवा श्रेणी	:– छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें – द्वितीय श्रेणी।
6.3 वेतनमान	:–वेतन बैंड 15600–39100 ग्रेड वेतन–5400/– एवं समय–समय पर राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत भत्ते।

7. **शैक्षणिक अर्हताएं** :–
   1. एम.बी.बी.एस. उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।
   2. छत्तीसगढ़ मेडिकल कांऊसिल में जीवित पंजीयन/अन्य राज्यों में पंजीकृत आवेदको को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में राज्य में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
   3. ऐसे उम्मीदवार जो एम.बी.बी.एस. के साथ पी.जी. डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी है, भी आवेदन कर सकते हैं।

8. **आयु सीमा** :– वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है की जनवरी के प्रथम दिन (01.01. 2016) को अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।

   टीप :– जिन वर्गो को पूर्व में अधिकतम आयु सीमा में उनके वर्ग आधार पर छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है (जैसे – अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला/विधवा–परित्यागता इत्यादि) उन वर्गो को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार अतिरिक्त छूट यथावत् मिलती रहेगी परंतु किसी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

9. **उच्चतम आयु सीमा में छूट** :– राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिनियम/नियम/दिशा निर्देश/जारी आदेशों के अधीन होगी।

   9.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/3/एक नया रायपुर, दिनांक 17.12.2015 के द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में एक बार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के **स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2016** की समाप्ति तक प्रदान किया जाएगा।

10. ऑन–लाईन आवेदन करने के संबंध में निर्देश/जानकारी :–

10.1 उपरोक्त पदों पर आवेदन ऑन–लाईन पोर्टल **(www.cghealth.nic.in)** के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें समस्त प्रविष्टि आवेदक स्वयं या किसी की सहायता से कर सकता हैं।

10.2 ऑन–लाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा–निर्देश एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट **(www.cghealth.nic.in)** में उपलब्ध है।

10.3 ऑन–लाईन आवेदन करने हेतु जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हताए (अंक सूचियां), अनुभव प्रमाण पत्र, जाति, निवास, पंजीयन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जो कि ऑन–लाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय चाही गई है। उन समस्त दस्तवेजों को स्केन कर अपलोड करें।

10.4 आवेदक को स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन करने के पश्चात् अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिसका प्रत्येक साईज 50 KB से अधिक न हो, फोटो तथा हस्ताक्षर का फारमेंट JPG में ही होना चाहिए।

10.5 आवेदक बड़ी ही सावधानीपूर्वक सभी प्रविष्टियों सही –सही भरे एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।

10.6 आवेदन पूर्ण करने के पश्चात जब आवेदन को सुरक्षित (Save) करना होगा जिससे कि पृथक पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त पंजीयन क्रमांक ही आवेदक का यूसर नेम होगा। उक्त पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड को अभ्यार्थी नोट कर सुरक्षित रखेगें।

10.7 आवेदक ध्यान रखे की अपने पंजीयन क्रमांक तथा पासवर्ड किसी अन्य को पता न चले।

10.8 उपरोक्त आवेदन में समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज में दिये अनुसार ही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज जॉच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी। चयन के पूर्व/पश्चात् त्रुटिपूर्ण पायें जाने पर उनका चयन निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय विभाग का होगा।

10.9 बेबसाईट पर उपलब्ध ऑन–लाईन आवेदन प्रपत्र अनुसार ही आवेदन किया जा सकता है।

10.10आवेदन संबंधी एवं अन्य नियम एवं शर्तो की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) पर उपलब्ध है।

11. आवेदक आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन ऑन लाईन भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

12. आवेदन में उल्लेखित निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी व्दारा प्रमाणित प्रतिलिपियॉ आवश्यकता अनुसार मांग किए जाने पर लाना अनिवार्य होगा।

13. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्समयक अर्हता का प्रमाण पत्र।

14. नियोक्ता प्राधिकारी के अनुशंसा/अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कार्यानुभव के अंक प्रदान किए जाएगें।

15. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :– छत्तीसगढ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडलों राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार मांग किए जाने पर लाना अनिवार्य होगा।

16. चयन प्रकिया :– शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेंगा। मेरिट लिस्ट उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों से प्राप्त योग के आधार पर तैयार की जावेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

16.1 **शैक्षणिक योग्यता :–**

1.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.बी.बी.एस. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् व्दारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि) के प्राप्तांको की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम **75 अंक** प्रावधानित है।

1.2 अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता मेडिसिन/सर्जरी/स्त्रीरोग/शिशुरोग/एनेस्थिया/ऑपथेल्मोलॉजी/रेडियोलॉजिस्ट/पैथालॉजिस्ट/नाक, कान, गला रोग/अस्थि रोग/ मनोरोग विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु 05 अंक एवं स्नातकोत्तर डिग्री हेतु 10 अंक प्रावधानित है। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता हेतु अधिकतम **10 अंक** प्रावधानित है।

16.2 **कार्यानुभव :–**

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सालयों/संस्थाओं में अनुभव के आधार पर मात्र राज्य में अनुसूचित विकासखण्डों (शासन आदेश क्रमांक एफ 4–1/2014/1–3 नया रायपुर, दिनांक 03.06.2015) में संविदा तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को एक वर्ष की पूर्ण सेवा हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है।

1.2 अनुभव के आधार पर मात्र राज्य में अनुसूचित विकासखण्डों में संविदा तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को एक वर्श की पूर्ण सेवा हेतु प्रतिवर्श 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जाए तथा सत्यापन हेतु अनुभव प्रमाण पत्र संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी किया जाना प्रावधान किया जाए।

16.3 अंतिम चयन सूची उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.बी.बी.एस. के सभी वर्षो के प्राप्तांक एवं पूर्णांक के प्रतिशत आधार पर) में प्राप्त कुल अंकों + कार्यानुभव अंक + अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों के योग से मेरिट के आधार पर तैयार की जावेगी।

17. प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अपलोड होने वाले आवेदन पत्रों को संकलित कर आयुक्त/संचालक स्वास्थ्य से परामर्श अनुसार चयन हेतु जानकारी की सूचना विभागीय बेवसाईट www.cghealth.nic.in पर दी जावेगी।

18. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन–पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण–पत्र देने या आवेदन–पत्र में जाति संबंधी गलत कोड नंबर भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी विभाग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा।

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़